**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.11.2025**

**थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार व कांबिंग के दौरान 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद।**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग व विवेचना मर्जुआत व तलाश वांछित अभियुक्तगण अन्तर्गत थाना मुरादनगर के गंगनहर पर चेकिंग की जा रही थी तथी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 557/25 व 560/25 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण जिनकी आपको तलाश है,वे दोनो व्यक्ति गंगनहर के लोहे के पुल से कुछ दूरी आगे गंगनहर की पटरी के पास खड़े है यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते है। जिनके पास असलाह भी हो सकता है। इस सूचना पर मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा से अतिरिक्त फोर्स तलब कर मुखबिर की बताई सूचना पर पहुंचे, जैसे ही पुलिस टीम लोहे के पुल गंगनहर के कुछ दूरी आगे पहुंची तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी गयी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरीश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह त्यागी निवासी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष बताया और मौके से भागे व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि वह मेरा साथी जो मौके से भाग गया है उनका नाम संदीप है। पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 27.10.2025 को मैंने अपने साथी संदीप जो भाग गया है के साथ मिलकर एक अनिल नाम लडके की हत्या गंगनहर के पास जंगल झाड़ियों में की थी व 31.10.2025 को मैंने एक ट्रक कन्डैक्टर की हत्या पैसे लूटने के चक्कर में की थी और पुलिस से बचने के लिए हम दोनों यहां छिपकर बैठे थे। पुलिस पकडने के डर से मैंने फायर किया था। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा कांबिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संदीप कुमार पुत्र जयकिशन निवासी गली नं0-10 बृज बिहार कॉलोनी उम्र करीब 30 वर्ष थाना मुरादनगर गाजियाबाद बताया जिससे कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ जिसने पूछताछ करने पर बताया कि हरीश त्यागी व मैंने मिलकर 27.10.2025 को गंगनहर के पास वाले जंगल में एक अनिल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त हरीश त्यागी ने बताया कि मैने व संदीप कुमार ने मिलकर दिनांक 27/10/2025 को एक अनिल नाम लडके को शराब में नशे की दवा मिलाकर दी थी तथा उसकी हत्या कर दी थी जिससे हरीश का 02 माह पहले किसी बात को लेकर झगडा हुआ था। दिनांक 31.10.2025 को मैंने एक ट्रक कन्डैक्टर की हत्या हिसाली सूर्यविहार में पैसे लूटने के लिए कर दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

1. हरिश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह त्यागी निवासी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।( घायल अवस्था में )

2. संदीप कुमार पुत्र जयकिशन निवासी गली नं0-10 बृज बिहार कालोनी उम्र करीब 30 वर्ष थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण**

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

गिरफ्तार हरीश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह त्यागी निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम व हत्या का प्रयास करने के संबंध में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। थाना भोजपुर पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। थाना मुरादनगर पर हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग-06)

अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

**शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले**
**वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग एवं चालानी कार्यवाही**

पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात, गाजियाबाद के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त-यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात के पर्यवेक्षण में दिनांक 08-11-2025 को समय 20:00 बजे से 23:00 बजे तक गाजियाबाद के शहर एवं देहात क्षेत्र में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शहर एवं देहात क्षेत्र के प्रमुख 09 बिंदुओं पर यातायात पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन कर प्रभावी रूप से चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान कुल 780 वाहनों की गहन चेकिंग की गई, जिनमें से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कुल 104 वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गई। इस दौरान यातायात पुलिस ने सभी चालकों को शराब या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाने, सड़क सुरक्षा के महत्त्व तथा यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में जागरूक भी किया। अभियान को सफल बनाये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त-यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात तथा सभी सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहे तथा विभिन्न चेकिंग प्वाइंट्स का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की गयी।

सड़क सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा यह विशेष अभियान प्रत्येक सप्ताह निरंतर रूप से जारी रखा जाएगा।

**इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान अभी तक निम्न प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी है :-**

- बिना हेलमेट कुल 14,319 वाहनों के चालान
- बिना सीट बेल्ट कुल 483 वाहनों के चालान
- मोबाइल फोन प्रयोग कुल 530 वाहनों के चालान
- रॉंग साइड कुल 3,006 वाहनों के चालान
- तीन सवारी कुल 1,162 वाहनों के चालान
- काली फ़िल्म कुल 692 वाहनों के चालान
- बिना बीमा कुल 351 वाहनों के चालान
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कुल 395 वाहनों के चालान
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस कुल 417 वाहनों के चालान
- हूटर सायरन/ प्रेशर हॉर्न कुल 296 वाहनों के चालान
- जाति सूचक शब्द कुल 380 वाहनों के चालान

**यातायात पुलिस गाजियाबाद आमजन से अपील करती है कि शराब सेवन या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाएँ, यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।**

## थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 12.03.2022 को थाना लोनी पर आवेदक नसीम अहमद पुत्र मन्जूर अहमद निवासी मकान नम्बर 15 निकट बाजार वाली मस्जिद , अपर कोट , थाना लोनी , जिला गाजियाबाद के साथ अभियुक्त गण 1. हेमलता ढढ्ढा पत्नी उत्तम ढढ्ढा 2. उत्तम ढढ्ढा 3. धनेशचन्द्र शर्मा 3.मीनू गुप्ता पत्नि हेमन्त कुमार 4. किशन सिंह पुत्र सिद्धा गोपाल 5 . चंचललता पत्नी मुकेश कुमार 6. खलील पुत्र नियाज 7. बिलकीस पत्नी युनुस द्वारा साजिश कर धोखाधडी से फर्जी वैनामा के कागजात तैयार कर प्लाट का बैनामा करना के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं 420/467/468/471/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 09-11-2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त खलील अहमद पुत्र नियाज अली निवासी कमल विहार गली नं0 3 करावल नगर टोल टैक्स के पास दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी के राशिद अली गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच वश आवेदक को बैनामा करते समय अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर साजिश के तहत धोखाधडी से फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा पर गवाह हेतु अंगूठा लगाया था

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

खलील अहमद पुत्र नियाज अली निवासी कमल विहार गली नं0 3 करावल नगर टोल टैक्स के पास दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**–

थाना लोनी पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 08.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिल्ली से वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1.कुशल यादव उर्फ तिलकधारी पुत्र बिजेन्द्र सिंह यादव निवासी आदर्श शिशु ज्ञान पब्लिक स्कूल के पीछे सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. अंकित मिश्रा पुत्र धीरेन्द्र मिश्रा निवासी नीयर मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल बंसल गेट लोनी थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 22 वर्ष 3. पीयूष उर्फ पशुपति कुमार साहू पुत्र पीताम्बर साहू निवासी गली नं0-04 नाईपुरा नीयर सांई बाबा मन्दिर बंसल गेट लोनी थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे हम बेचने की फिराक में जा रहै थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

1.कुशल यादव उर्फ तिलकधारी पुत्र बिजेन्द्र सिंह यादव निवासी आदर्श शिशु ज्ञान पब्लिक स्कूल के पीछे सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

2. अंकित मिश्रा पुत्र धीरेन्द्र मिश्रा निवासी नीयर मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल बंसल गेट लोनी थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 22 वर्ष।

3. पीयूष उर्फ पशुपति कुमार साहू पुत्र पीताम्बर साहू निवासी गली नं0-04 नाईपुरा नीयर सांई बाबा मन्दिर बंसल गेट लोनी थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण –**

कब्जे से दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –**

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.10.2025 को वादिया द्वारा थाना निवाडी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1.लक्ष्य शर्मा उर्फ निक्की पुत्र मनोज कुमार व 2.नितिन पुत्र मनोज कुमार निवासीगण ग्राम सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा मारपीट करना व जान से मारने धमकी देना तथा अभियुक्त लक्ष्य द्वारा षडयंत्र कर शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल धारा 69/352/351(3)/115(2)/61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.11.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त लक्ष्य शर्मा उर्फ निक्की पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम सीकरी

कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को पिलर नं0 1066 थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया से 04 वर्ष पूर्व ओला पार्टी एप के माध्यम से मुलाकात हुई थी तभी से हम दोनो आपस में बात करते थे। मैंने वादिया को शादी करने का आश्वासन दिया था तथा इसी दौरान हम दोनो के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने थे। मैंने व मेरे भाई नितिन ने वादिया से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी।

## अभियुक्त का नाम व पता –

लक्ष्य शर्मा उर्फ निक्की पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम सिकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष ।

## आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना निवाडी पुलिस टीम।

## थाना मुरादनगर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार व कांबिंग के दौरान 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद।

थाना मुरादनगर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग व तलाश वांछित अभियुक्तगण अन्तर्गत थाना मुरादनगर के गंगनहर पर चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 557/25 व 560/25 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण जिनकी आपको तलाश है, वे दोनो व्यक्ति गंगनहर के लोहे के पुल से कुछ दूरी आगे गंगनहर की पटरी के पास खड़े है यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते हैं। जिनके पास असलाह भी हो सकता है। इस सूचना पर मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा थाना से अतिरिक्त फोर्स तलब कर मुखबिर की बताई सूचना पर पहुंचे, जैसे ही पुलिस टीम लोहे के पुल गंगनहर के कुछ दूरी आगे पहुंची तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी गयी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरीश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह त्यागी निवासी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष बताया और मौके से भागे व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि वह मेरा साथी जो मौके से भाग गया है उनका नाम संदीप है। पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 27.10.2025 को मैंने अपने साथी संदीप जो भाग

गया है, के साथ मिलकर एक अनिल नाम लडके की हत्या गंगनहर के पास जंगल झाड़ियों में की थी व दिनांक 31.10.2025 को मैंने एक ट्रक कन्डैक्टर की हत्या पैसे लूटने के चक्कर में की थी और हम दोनों पुलिस से छिपते छिपाते घूम रहे थे कि आज हमारी पुलिस से मुठभेड हो गई। पुलिस के पकडने के डर से मैंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा कांबिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संदीप कुमार पुत्र जयकिशन निवासी गली नं0-10 बृज बिहार कॉलोनी उम्र करीब 30 वर्ष थाना मुरादनगर गाजियाबाद बताया जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ जिसने पूछताछ करने पर बताया कि हरीश त्यागी व मैंने मिलकर 27.10.2025 को गंगनहर के पास वाले जंगल में एक अनिल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त-**

अभियुक्त सन्दीप ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 27.10.2025 को मैंने व हरीश ने मिलकर अनिल को शराब पिलायी व मछली पकडने के बहाने से गंगनहर की तरफ ले गये जहाँ पर एक जंगल में ले जाकर और शराब पिलायी तथा हरीश ने उसकी शराब में नशे की गोली मिला दी थी जिससे अनिल को ज्यादा नशा हो गया जिससे वह जमीन पर गिर गया तभी हरीश ने बोला , इसने मुझे दो महीने पहले गालियाँ दी थीं , आज इसको छोड़ूँगा नहीं , इस पर हरीश ने पास में पडे बडे से पत्थर को उठाकर अनिल के सिर पर मार दिया , जिससे वह मौके पर ही मर गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गये। हरीश को मैंने दो दिन पहले ही असालत नगर में कमरा दिलाया था, घटना के बाद हरीश ने कमरा हिसाली गाँव के पास ले लिया था। दिनाँक 31.10.2025 को हरीश ने एक ट्रक हैल्पर का भी मर्डर किया था जिसे मुझे हरीश ने परसों बताया था कि ट्रक हेल्पर की हिसाली -सूर्यविहार फाटक के पास दोस्ती कर पैसे लूटने की नीयत से शराब पिलाकर व नशे की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत मे सिर पर ईट मारकर ट्रक के अन्दर हत्या कर दी थी, हरीश ने अपने किराये के कमरे पर अनिल व ट्रक हेल्पर के खून से सने कपडे छुपा कर रखे थे जिसे मैंने बरामद करा दिया है।

**पूछताछ का विवरण अभियुक्त हरीश उपरोक्त -**

अभियुक्त हरीश ने पूछताछ पर बताया कि मैं शराब पीने का आदी हूँ, दो महीने पहले मेरा अनिल से झगडा हो गया था, जिसका बदला मैंने सन्दीप के साथ मिलकर अनिल को शराब में नशीली दवा मिलाकर सिर पर पत्थर से वार करके मार दिया था तथा ऐसे ही ट्रक हैल्पर जो मेरे कमरे के पास ही ट्रक में रहा था, जिससे मैंने दोस्ती की व उसे शराब पिलायी , मुझे लगा इसके पास कुछ पैसे होंगे , इसलिये मैंने ईनो (eno) में नशीली दवा (Ativan-2mg) मिलाकर उसको शराब के साथ पिला दी जिससे उसे ज्यादा नशा हो गया और वह ट्रक में ही लेट गया , मैने उसकी व ट्रक की तलाशी ली परन्तु कुछ नहीं मिला , मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ट्रक के नीचे पडी ईंट उठाकर, ट्रक में लेटे मुकेश के सिर व चहरे पर ताबड तोड वार कर दिये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। फिर मैं नशे की हालत में अपने कमरे पर जाकर सो गया।

**अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.हरिश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह त्यागी निवासी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष। ( मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में )
2. संदीप कुमार पुत्र जयकिशन निवासी गली नं0-10 बृज बिहार कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

**अभियुक्त हरीश त्यागी** उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम व हत्या का प्रयास करने के संबंध में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। थाना भोजपुर पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। थाना मुरादनगर पर हत्या के 02 अभियोग व पुलिस मुठभेड का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग-07)

**अभियुक्त संदीप कुमार उपरोक्त** पर थाना मुरादनगर पर हत्या का 01 अभियोग व पुलिस मुठभेड का 01 अभियोग पंजीकृत हैं।(कुल अभियोग-02)

अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

## थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 07.11.2025 को वादी श्री अनुज यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी वेव सिटी गाजियाबाद द्वारा थाना वेव सिटी पर अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी को जान से मारने की नियत से अपनी लाईसेन्सी रिवाल्वर से फायर करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर तत्काल मु0अ0सं0 329/2025 धारा 109(1)/3(5) BNS पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। दिनांक 08.11.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एवं मेनुअल ईनपुट के आधार पर 1. सौरभ पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी ग्राम छिजारसी थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र 25 वर्ष 2. विपिन पुत्र रोहताश निवासी ग्राम गुर्जरगढी थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष 3. आकाश चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम भैंसापुर थाना बी0बी0नगर जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष 4. शिवम पुत्र धर्मेन्द्र निवासी भैंसापुर थाना बी0बी0नगर जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष को डासना से काजीपुरा जाने वाले रास्ते पर ट्रांसफॉर्मर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना के दौरान प्रयुक्त की गयी मोटर साइकिल नं0 DL13SU3190 बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल सौरभ की है और घटना के समय यह मोटर साइकिल शिवम पुत्र धर्मेन्द्र चला रहा था, आकाश चौधरी पीछे बैठा था और विपिन व सौरभ,

नरेन्द्र के साथ गाडी में बैठे थे और जिस हथियार से फायर किये गये थे वो हथियार, नरेन्द्र के ही थे जिन्हें नरेन्द्र अपने साथ ले गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

- सौरभ पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी ग्राम छिजारसी थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र 25 वर्ष
- विपिन पुत्र रोहताश निवासी ग्राम गुर्जरगढी थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष
- आकाश चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम भैंसापुर थाना बी0बी0नगर जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष
- शिवम पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम भैंसापुर थाना बी0बी0नगर जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

घटना के दौरान प्रयुक्त की गयी बुलेट मोटर साइकिल नं0 DL13SU3190 बरामद।

**अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास -**

**उपरोक्त अभियुक्तगण** के विरूद्ध उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

## थाना लिंकरोड़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गयी।

**कार्यवाही की विवरणः-** दिनांक 08.11.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी निवासी अरुण ठाकुर के मकान में किरायेदार कडकड माडल लिंकरोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिए 01 अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी उपरोक्त की जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.11.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुए एक प्रति अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उपरोक्त को दी गयी तथा अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उपरोक्त की ढोल नगाडों की मुनादी कराते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि

अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 08.11.2025 को 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना लिंकरोड़ पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी निवासी अरुण ठाकुर के मकान में किरायेदार कडकड माडल लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

- गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त सूरज पुत्र नन्दलाल उर्फ राजू सोनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी,चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम।

## स्वाट टीम क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 15 लाख रुपए कीमत की 2.478 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन मे नशा कारोबार मे संलिप्त अपराधियो के रोकथाम मै अपर पुलिस आयुक्त अपराध के परिवेक्षण मे सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व मे स्वाट टीम,क्राइम ब्रांच द्वारा दिनांक- 08/11/25 को समय 19.30 बजे शाम थाना वेव सिटी क्षेत्र मे आदित्य वर्लड सिटी के पास मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राजू कुमार भारती को 2.478 कि0ग्रा0 अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया बरामद अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 15 लाख रूपये है। बरामद अफीम के आधार पर थाना वेव सिटी पर स्वाट टीम क्राइम ब्रांच द्वारा अभियोग पंजीकृत कराकर गिरफ्तार अभि0 राजू कुमार भारती के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरणः-** पूछताछ पर अभियुक्त राजू कुमार भारती ने बताया कि उक्त बरामद अफीम 2.478 कि0ग्रा0 को वह झारखण्ड के चतरा जिले से लेकर आ रहा था उक्त अफीम को उसके साथी राहुल यादव के द्वारा दी गयी थी और अफीम को हरियाणा के अंबाला तक पहुँचाने के एवज मे 50000 रु की डील हुई थी अभि0 राजू कुमार भारती पूर्व मे झारखण्ड की चतरा जेल मे बंद था जेल में राहुल यादव से दोस्ती हुई थी राहुल यादव जिला चतरा का अफीम तस्करी का मास्टमाइंड है तथा राहुल यादव कि अंबाला के मनप्रीत नाम के सरदार से अफीम की खरीद फरोक्त कर तस्करी कर रहा था तथा उक्त अफीम को अभि0 झारखण्ड से ट्रक व बसो मे बैठकर गाजियाबाद तक पहुँचा था व गाजियाबाद के आदित्य वर्लड सिटी पर राहुल के बताये अनुसार किसी वाहन मे बैठकर जाने वाला था कि मुखबीर की सूचना पर उपरोक्त अभि0 को गिरफ्तार कर अफीम की बरामदगी की गयी है

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.राजू कुमार भारती पुत्र स्व0 वरन भूईया निवासी ग्राम असडिया पोस्ट कामता खुर्द थाना चतरा जिला चतरा झारखण्ड उम्र करीब 27 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

1.अफीम 2.478 किलोग्राम कीमत लगभग 40 लाख रूपये

**गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास-** अभियुक्त राजू कुमार के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध मे पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

## थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अमानत में खयानत की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अमानत में खयानत की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रुपये बरामद।

**कार्यवाही की विवरण:-** दिनांक 03.11.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री अभिषेक वर्मा पुत्र सुनील वर्मा निवासी शाप न0 11/23 शिप्रा शापिंग प्लाजा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की दुकान में कार्य करने बाला लडका रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह निवासी अज्ञात द्वारा वादी की दुकान से 02 कड़े व 01 कड़े वाला ब्रैसलेट लेकर चले जाने व वापस ना देने को लेकर अमानत में खयानत करने के सम्बन्ध में अभियुक्त रितिक वर्मा के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर धारा 316(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 09.11.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अमानत में खयानत की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह वर्मा निवासी कटरा मोहल्ला लाल मठिया टावर वाली गली थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी उ0प्र0 हाल पता नवीन गुप्ता का किराये का मकान नवनीत विहार गली नं0 4 खोडा थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को सैक्टर 62 अन्डरपास के पास से अमानत में खयानत की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह वर्मा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 316(4), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह वर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त के पिता की मैनपुरी में सुनार की दुकान है, जिस कारण अभियुक्त को भी सुनार का काम आता है तथा अभियुक्त उपरोक्त को नौकरी की जरूरत होने के कारण अपना मोबाइल नं0 तथा नाम JOBHAI एप पर डाल दिया था। दिनांक 30.10.2024 को गिरफ्तार अभियुक्त रितिक वर्मा के पास शिप्रा शापिंग प्लाजा से वर्मा ज्वैलर्स से अभिषेक वर्मा का फोन आया कि उन्हें अपनी ज्वैलरी की दुकान के लिये एक व्यक्ति चाहिये तो अभियुक्त ने हाँ कर दी और दुकान पर काम करने चला गया। इसीक्रम में दिनांक 01.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त अभिषेक वर्मा की दुकान पर काम कर रहा था तो अभिषेक वर्मा ने अभियुक्त को किसी काम को लेकर डाँट दिया, जिस कारण अभियुक्त ने मौका देखकर उनकी दुकान से 02 सोने के कड़े व 01 ब्रैसलेट अपने पास रखकर वहाँ से चला गया था फिर अभिषेक वर्मा ने अभियुक्त को माल वापिस करने के लिए मैसेज किया लेकिन अभियुक्त ने अपना सिम तोड़कर फैंक दिया और उसके बाद 02 सोने के कड़े व 01 ब्रैसलेट को अपने साथ लेकर अपने घर मैनपुरी भाग गया, जहां अपनी दुकान पर जाकर अभियुक्त ने 02 सोने के कड़े व 01 ब्रैसलेट को पिघलाकर दूसरे गहने बनाकर ग्राहकों को औने-पौने दाम में बेच दिया था। जिसमें से कुछ रुपये अभियुक्त ने खर्च कर दिये और बचे पैसों को लेकर अपने किराये के मकान पर जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह वर्मा निवासी कटरा मोहल्ला लाल मठिया टावर वाली गली थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी उ0प्र0 हाल पता नवीन गुप्ता का किराये का मकान नवनीत विहार गली नं0 4 खोडा थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

अमानत में खयानत की घटना से सम्बन्धित 02 लाख रुपये बरामद ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर अमानत में खयानत से सम्बंधित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व मारपीट करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 10.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर दोनो पक्षों के अभियुक्तगण द्वारा एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे के ऊपर लाठी डण्डो व ईंट पत्थर से हमला करने , एक दूसरे के साथ मारपीट करने , गाली गलौच करने तथा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर हिंसा व आतंक फैलाने के सामान्य आशय से अग्रसर होकर शान्ति भंग करते हुए एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से बलवा करने के सम्बन्ध में धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 12.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण प्रथम पक्ष 1. शौकत अली पुत्र स्व0 सुलेमान 2. यामीन पुत्र स्व0 सुलेमान 3. खुर्शीद पुत्र स्व0 सुलेमान 4. मोमीन पुत्र शौकत अली 5. फरमान मलिक पुत्र यामीन समस्त निवासीगण गली न0 02, लक्ष्मी गार्डन, इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 6. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर निवासी गली न0 03, लक्ष्मी गार्डन, इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष व द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 1.सर्फू उर्फ शराफत पुत्र यामीन उर्फ मीना प्रधान उम्र 48 वर्ष, निवासी गली न0 03, लक्ष्मी गार्डन, इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 2. साजिद उर्फ मुर्गा पुत्र यामीन उम्र 45 वर्ष निवासी गली न0 04, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन, इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 3. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर उम्र 42 वर्ष निवासी गली न0 03,

लक्ष्मी गार्डन, इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 09.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रथम पक्ष से प्रकाश में आये अभियुक्त आदिल उर्फ भूरे पुत्र अहसान निवासी गली न0-1 ,100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि भैसों के व्यापार में लाने ले जाने को लेकर घटना से 03 दिन पूर्व यामीन व सर्फू उर्फ शराफत में राजस्थान कहासुनी हुई थी जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 10.10.2025 शुक्रवार नमाज के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से एक दूसरे को लाठी, डण्डों, ईट-पत्थर से जान से मारने की नीयत से मारपीट करने लगे थे ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

आदिल उर्फ भूरे पुत्र अहसान निवासी गली न0-1 ,100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।